के लिए खतरनाक होने के कारण उनका जीवन बीमा करने और उनकी ओर से बीमे की किश्तों का भुगतान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो उसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) बीमें की कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों को पहले ही सीवरों की सफाई करने वाले श्रमिकों पर लागू कर दिया है । इस अधिनियम के अधीन संबंधित व्यक्ति स्थाई विकलांगता के मामले में 24000/-रुपये और मृत्यु के मामले में 20000/-रुपये की न्यूनतम क्षतिपूर्ति का हकदार होगा बशर्ते कि यह विकलांगता या मृत्यु नियोजन में चोट लगने के कारण हो। अन्य राज्यों।संघ क्षेत्रों से भी सीवरों की सफाई करने वाले व्यक्तियों पर इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

सामूहिक बीमा योजना के अधीन सफाई मजदूरों को लाभ

2295. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभागों में कार्यरत सफाई मजदूरों को सामूहिक बीमा योजना के अधीन 12000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सामूहिक बीमा योजना के अधीन इस राशि को बढ़ा कर 25000 रुपए करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार के विभागों में नियमित आधार पर कार्य कर रहे समूह "घ" कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों सहित) को समूह बीमा योजना के अन्तर्गत 10,000। · रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Direct Recruits of the Indian Economic Service

2296. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Indian Economic Service direct recruits who joined in 1960 are not only stagnating in the scale of Rs. 1100—1600 but will also continue in the same scale for next 5-6 years;

(b) if so, what are the prospects of those direct recruits who are in the initial scale of Rs. 700—1300 and are likely to slide down by about 200 places as a result of the recent judgement given by the Supreme Court in February, 1986; and

(c) what steps Government have taken or propose to take to improve the career prospects of the direct recruits of the Indian Economic Service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) No, Sir. The Direct recruitment to Gr. IV of Indian Economic Service started only in 1968, based on IES Examination, 1967.

(b) In its judgement dated 11.2.86, relating to the Indian Economic Service. The Hon'ble Supreme Court has directed the Union of India to prepare a new seniority list in Gr. IV of Indian Economic Service. The promotee officers to Gr. IV shall be assigned seniority with effect from the